

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 123/2022
केशरदेव मीणा पुत्र श्री झाबरमल मीणा, सरस्वती स्कूल के पीछे, वार्ड नं0 53, राधाकिशनपुरा, सीकर,
पिन कोड 332001, मो0न0 9351625644

बनाम


लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

--

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 02.05.2022


1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 11.04.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 123/2022 पर दिनांक 12.04.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1407-08 दिनांक 12.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/527 दिनांक 27.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी केशरदेव मीणा पुत्र श्री झाबरमल मीणा, सरस्वती स्कूल के पीछे, वार्ड नं0 53, राधाकिशनपुरा, सीकर, जिला सीकर का आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 17.02.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/67 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया गया। प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 833-35 दिनांक 25.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दू सं0 1 की सूचना के क्रम में अवगत करवाया कि आप द्वारा चाही गई सूचना कुल 84 पृष्ठ में है जिसके प्रति पृष्ठ 2 रुपये के हिसाब से कुल 168 रुपये राजकोष में जमा करवाकर सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा बिन्दू 2 व 3 की सूचना के क्रम में प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग ने अपने पत्र क्रमांक 830-32 दिनांक 25.04.2022 द्वारा तहसीलदार मलसीसर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनूं पत्रांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/22/527 दिनांक 27.04.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी केशरदेव मीणा पुत्र श्री झाबरमल मीणा, सरस्वती स्कूल के पीछे, वार्ड नं0 53, राधाकिशनपुरा, सीकर, जिला सीकर का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 17.02.2022 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16 (4)(5)न्याय/सू0अ0/09/67 दिनांक 24.02.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र भिजवाया


लक्ष्मण सिंह कुडी

गया। प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक 833-35 दिनांक 25.04.2022 के द्वारा अपीलार्थी को बिन्दू सं० 1 की सूचना के क्रम में अवगत करवाया कि आप द्वारा चाही गई सूचना कुल 84 पृष्ठ में है जिसके प्रति पृष्ठ 2 रुपये के हिसाब से कुल 168 रुपये राजकोष में जमा करवाकर सूचना प्राप्त की जा सकती है तथा बिन्दू 2 व 3 की सूचना के क्रम में प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग ने अपने पत्र क्रमांक 830-32 दिनांक 25.04.2022 द्वारा तहसीलदार मलसीसर को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा बिन्दू संख्या 1 के क्रम में सूचना का शुल्क जमा नहीं करवाया है एवं बिन्दू सं० 2 व 3 के क्रम में सूचना उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार मलसीसर को लिखा जा चुका है जिसकी प्रति अपीलार्थी को दी जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 02.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(एल०एस०कुडी)

जिला कलेक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर, झुंझुनूं